अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेशपत्र में दिए गए रिपोर्टिंग/प्रवेश-समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचें।

2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश-समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश-समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा।

3. अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं :

(क) **प्रवेश-पत्र**

(ख) **पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटों**की दो प्रतियां (3 सेमीx 3.5 सेमी)।

(ग) स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में**कम से कम एकफोटोयुक्तवैध पहचानप्रमाण** (अपेक्षितफोटो पहचान-प्रमाण जैसे कि 1. पासपोर्ट, 2. आधार कार्ड / ई आधार का प्रिंट आउट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान-पत्र, 5. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र, 6. मतदाता पहचान-पत्र , 7. पैन कार्ड, 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिकनिर्मुक्तिपुस्तक, 9. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण ।

(घ) यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक

अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश-पत्र में अंकित है (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं कक्षा का प्रवेशपत्र/पास प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) **। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ड.) **फेसमास्क।**

(च) **हैंडसैनिटाइजर(छोटी बोतल) ।**

(छ) **पारदर्शी पानी की बोतल।**

(ज) **प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्व-घोषणा पत्र का प्रिंटआउट।**

4. परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिनाकिसी भी अभ्यर्थी कोकिसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षालैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थीपरीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैबछोड़ देता है, तो उसे परीक्षा लैबमें फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थितारदद् कर दी जाएगी।

5. अभ्यर्थियोंको प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।

6. अभ्यर्थियोंको सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सकें।

7. अभ्यर्थियोंको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हों। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियोंकी अभ्यर्थितारद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी ।

8. अभ्यर्थियोंकी अभ्यर्थिता विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थितारद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं, जैसे- घड़ी, किताबें, पेन, पेपर चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिकगैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथडिवाइस, हेड फोन, पेन / बटनहोल / स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेजडिवाइस आदि) लाने की सख्त मनाही है। । यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थितारद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी / आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी ।

10. अभ्यर्थियोंको नोज़-पिन, कंगन, झुमके , चार्म्स(charms), कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति को धर्म/रीति-रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियोंको परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए।

11. अभ्यर्थियोंको सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं । यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. रफ़ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैबमें दिए जाएंगे।

13. सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन हैं ।

14. अभ्यर्थियोंको दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी (टाइमर) उपलब्ध रहेगी

15. अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें।

16. अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटलडिटेक्टर (एचएचएमडी) के जरिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

17. अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों (केंद्र पर्यवेक्षक/परीक्षकआदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

18. अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेशपत्र की आयोग कीप्रतिलिपिपर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई), प्रवाहपूर्ण हस्तलेख (रनिंगहैंडराइटिंग) में प्रमाणन व्यक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए ।

19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ कानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ध्यान दिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के उकसाने के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी।

20. यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियोंको परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियोंके लिए बाध्यकारी होगा।

21. अभ्यर्थियोंको आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान, जैसे- गंभीर/मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति / सर्वरका संपर्क न रहना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समयकी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके वे हकदार हैं।

22. अभ्यर्थियोंको सलाह दी जाती है कियदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / आयोग को इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियोंकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

23. पात्र शा.दि. अभ्यर्थी प्रति घंटे 20 मिनट के पूरक समय और प्रलिपिक की सहायता के हकदार हैं।

24. दृष्टिहीनता और प्रमस्तिष्कीयपक्षाघात प्रभावित लोगों का छोड़कर अन्य शा.दि. अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में प्रलिपिककी सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें प्रलिपिककी सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा के नोटिस के **<u>अनुबंध-I(एनेक्सर-I)</u>**के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

25. यदिअभ्यर्थीअपनेप्रलिपिककाविकल्पदेता हैतोप्रलिपिककीयोग्यता, परीक्षादेरहेअभ्यर्थीकीयोग्यतासेएकस्तरनीचेहोनीचाहिए।अपनेप्रलिपिककेलिएविकल्पदेरहेअभ्यर्थियोंको**<u>अनुबंध-II(एनेक्सर-II)</u>**परदिएगएप्रोफार्माकेअनुसारपरीक्षा देने के समय अपनेप्रलिपिककेब्योरेप्रस्तुतकरनाअपेक्षितहोगा।इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 3 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी । **<u>अनुबंध-II(एनेक्सर-II)</u>**पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरितप्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी ।

26. शा.दि. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित प्रलिपिकको इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

27. एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिंक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धकलैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-प्रत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धकलैंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते है, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धकलैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें

प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धकलैंस लाना होगा।

28. यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

29. अभ्यर्थियोंको सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले मेंवे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।

कोविड-19(कोरोना) के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सलाह

कर्मचारी चयन आयोगअपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए,कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सामाजिक दूरी के मानदंडोंको लागू करेगा। परीक्षकों और परीक्षार्थियों की सुरक्षा से समझौता किए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने हित में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सामाजिक दूरी मानदंडोंऔर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन न करने पर दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखितअनुदेशोंपर ध्यान देना और उनका पालन करना आवश्यक है:

1. कोविड-19 महामारी के आलोक में, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वार पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने के समय से पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचें।

2. परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें और दो अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखें।

3. अभ्यर्थी के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेशप्रमाण-पत्र और पहचान प्रमाण-

पत्र के सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी।

4. प्रवेश द्वार पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करना होगा।

5. दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर प्रवेश-पत्र और वैध फोटो पहचान-पत्र की फ्लैशिंग द्वारा अभ्यर्थी का संपर्क रहित सत्यापन किया जाएगा।

6. अभ्यर्थियों को बॉल पेन और रफ शीट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की सीटों पर रफ शीट और एक बॉल पेन रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को,मांगने पर,अतिरिक्त रफशीटभी प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को लैब में उपलब्ध कराए गए ड्रापबॉक्स में रफ शीट डालनी होगी ।

7. बुखार, खांसी आदि लक्षण वाले उम्मीदवारों को अलग/आईसोलेटड बैठने की व्यवस्था में परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

8. अभ्यर्थी अपने विवेकानुसार हाथ के दस्ताने भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

9. अभ्यर्थियों को थर्मो गन के उपयोग से संपर्क रहित तलाशी और तापमान की जांच की जाएगी और उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन डेस्क की ओर जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। परीक्षा अधिकारी प्रवेश प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र आदि की जांच करेंगे और अभ्यर्थी फिर पंजीकरण डेस्क की ओर बढ़ेंगे।

10. पंजीकरण डेस्क पर, अभ्यर्थी की तस्वीर ली जाएगी, हालांकि, एहतियाती उपाय के रूप में अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। इस समय अभ्यर्थियों को सीट नंबर प्रदान किए जाएंगे।

11. अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित सीटोंकी ओर निर्देशित किया जाएगा। सामाजिक दूरी संबधीमानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, दो अभ्यर्थियों की सीट पास-पास होने पर,अभ्यर्थियों को एक अन्य सीट सौंपी जा सकती है।

12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की प्रति और उपस्थिति प्रपत्रभरने से पहले और बाद में अपने हाथों को स्वच्छ करें।

13. एक पारी के पूरा होने पर,एक बार में एक अभ्यर्थी के क्रम मेंअभ्यर्थियों को क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी ।

14. रफ शीट को अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा लैबसे निकलने के स्थान पर रखे बॉक्स में डाला जाएगा।

<u>कोविड-19 स्व: घोषणा-पत्र</u>

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरी कोरोनावायरस जांच की पुष्टि नहीं हुई है या मुझे कोविड-19 के संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया गया है।

अभ्यर्थी का नाम:-

____

अभ्यर्थी का

रोलनं.:____

परीक्षा का

नाम:____

परीक्षा की

तिथि:____

परीक्षा

पाली:____

परीक्षा केंद्र का

नाम:____

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:____